वित्त निर्देश 45/2010

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्र. 221/वित्त/चार/ब-2/2010 रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-निर्माण कार्यो के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में ।

छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली के अध्याय 2, धारा 2 में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु निम्नानुसार तीन बिन्दुओं के पालन करने के निर्देश हैं-

(I) प्रशासनिक अनुमोदन,

(II) तकनीकी मंजूरी,

(III) पर्याप्त बजट प्रावधान या उपलब्धता

इनके साथ ही कार्य विभाग नियमावली के कंडिका 2.005 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी योजना/कार्य का पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है, यदि-

(A) प्रशासनिक अनुमोदन, प्रक्रम-I प्राक्कलन (Stage-I Estimate) के आधार पर दिया गया है एवं अनुमोदित राशि से यदि प्राक्कलन में वृद्धि 20% अधिक होता है, अथवा होना प्रतीत होता है ।

(B) प्रशासनिक अनुमोदन प्रक्रम-II प्राक्कलन (Stage-II Estimate) के आधार पर दिया गया है एवं अनुमोदित राशि से यदि प्राक्कलन में वृद्धि 10% अधिक व्यय होता है, अथवा होना प्रतीत होता है ।

(C) मूल प्रस्तावों में सामग्री का बदलाव किया गया है, भले ही उनकी लागत अन्य मदों की बचत से की जा सकती हो ।

2. विभागों से प्राप्त होने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यों के पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्तावों में प्राय: यह देखा गया है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य नियमावली में पुनरीक्षित अनुमोदन के संबंध में उल्लेखित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरुप योजनाओं के वित्तीय पोषण के संबंध में समस्या उत्पन्न होती है तथा राशि की उपलब्धता के अभाव में कार्य पूर्ण होने में बिलंब होता है ।

3. अत: सभी कार्य विभागों से अपेक्षा की जाती है कि प्रशासनिक अनुमोदन अथवा पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्य नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ निम्नलिखित दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे -

(I) प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रस्ताव यथा संभव आवश्यक सर्वेक्षण, अनुसंधान, परीक्षण, अध्ययन आदि पूर्ण रुप से संपन्न कर एवं आवश्यक डिजाइन, ड्राईंग, विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर स्टेज-II लागत आधारित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) पर आधारित होना चाहिए । राजस्व भूमि, निजी भूमि, वन भूमि अथवा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति, मुआवजा आदि यदि आवश्यक हो, तो यथासंभव वास्तविकता के करीब तक गणना कर आवश्यक प्रावधान किये जाने चाहिये, जिससे प्रस्तावित योजना का वास्तविक लाभ-लागत का अनुमान हो सके तथा आवश्यक धनराशि के विनियोग हेतु सही प्लानिंग सुनिश्चित हो सके ।

(II) अपरिहार्य परिस्थिति में जब स्टेज-II आधारित लागत निकाला जाना संभव न हो अथवा किसी कारण से आंकलन न किया गया हो तो स्टेज-I आधारित लागत अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जावे तथा प्रशासनिक अनुमोदन पश्चात सर्वेक्षण, अनुसंधान, परीक्षण, अध्ययन आदि समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर विस्तृत डिजाइन, ड्राईंग, प्राक्कलन आदि तैयार कर सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि प्रस्तावित योजना की लागत प्रशासनिक अनुमोदन की सीमा के अंदर है अथवा नहीं । निर्धारित सीमा के अंदर योजना की लागत न होने की स्थिती में पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ही निविदा आंमत्रित की जानी चाहिये ।

(III) यदि किसी योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी करते समय यह अनुमान हो जाता है कि योजना की लागत ली गयी प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक है, जो प्रथमत: पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की सहमति प्राप्त की जावे, तदोपरान्त ही निविदा की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे । इसी प्रकार यदि निविदा की दरें प्रचलित विभागीय दर सूची से कम दरों पर आ रही है अथवा स्वीकृत की गयी है तो उस स्थिति में भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनिवार्यत: पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे ।

(IV) कतिपय प्रकरणों में यह भी देखा गया है कि प्रशासनिक अनुमोदन पश्चात लागत वृद्धि होना ज्ञात होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन की

सीमा के अन्दर होना मानकर कार्य के आंशिक भाग की तकनीकी मंजूरी प्रदान कर एवं निविदा कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है, ऐसा किया जाना उचित नहीं है। निर्माण कार्य की सुविधा की दृष्टि से कार्य को विभाजित कर आंशिक कार्य की तकनीकी मंजूरी तथा निविदा की जा सकती है, किन्तु कार्य प्रारंभ के पूर्व पूर्ण कार्य की लागत अनुसार सक्षम प्रशासनिक अनुमोदन लिया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य है ।

(V) पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव सभी दृष्टि से पूर्ण एवं लगभग वास्तविक लागत के करीब होना चाहिये जिसमें यथा संभव लंपसम प्रावधान अथवा किसी आंशिक भाग का स्टेज-I अनुमान नहीं होना चाहिए ।

(VI) पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के प्राक्कलन, पुनरीक्षण के समय प्रचलित विभागीय दर सूची के आधार पर तैयार किया जाना चाहिये । किसी प्रकरण में आंशिक कार्य संपन्न होने की स्थिति में संपन्न हो चुके कार्य वास्तविक आधार पर तथा शेष कार्यो के प्राक्कलन पृथक-पृथक बनाया जाना चाहिये ।

(VII) पुनरीक्षित अनुमोदन के प्रस्ताव में विभिन्न मदों में मात्रा एवं दर में अंतर को स्पष्ट करते हुये तुलनात्मक विवरण संलग्न प्रपत्रानुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसमें प्रस्तावित लागत वृद्धि के कारणों को प्रपत्र में दिये गये उपशीर्षवार पृथक-पृथक स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 222/वित्त/ब-2/2010, रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(ऋषभ पाराशर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

तुलनात्मक प्रपत्र (Comparative Statement)

S. No.	Item(s)	As per Sanction			As per Revised Proposal			Increase due to					Saving	Remark
		Quantity	Rate	Amount	Quantity	Rate	Amount	Price rise	Quantity			Inadequate provision		
									Chage in Scope	Inadequate survey /investigation	Others, if any			

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर